संख्या-34/2018/1059 /30-3-18-06बी/2018

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 23 मार्च, 2018**

विषय- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में जनपद-मथुरा एवं मिर्जापुर में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था का नामांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0/आईटी), उ0प्र0 के पत्र संख्या-317स0सु0/2018-78स0सु0/ 2017, दिनांक 16-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-मथुरा एवं मिर्जापुर में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु कान्ट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को एतदद्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नामित कार्यदायी संस्था से प्रदेश के जनपद- मथुरा एवं मिरजापुर में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु मानकीकृत डिजाइन पर आधारित आगणन आज ही प्राप्त कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-34/2018/1059(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मथुरा एवं मिर्जापुर।
4- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- कान्ट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।**